



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

क्रमांक/रीडर II/2018/738

दिनांक 8.8.2018

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
शाहाबाद

विषय:- राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के प्रकरण स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत न्यायालय हाजा में जैरकार निम्नांकित प्रकरण आपके क्षेत्राधिकार अन्तर्गत होने के कारण आगामी कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है। कृपया प्राप्ति रसीद उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

क्र.सं.	न्याया. हाजा प्रकरण संख्या	बउनवान	आगामी तारीख पेशी	किता
1	71/2015	सरकार थानाधिकारी कस्बाथाना बनाम श्री अमरलाल पुत्र फौजा जाति बंजारा निवासी कस्बाथाना थाना कस्बाथाना जिला बारां	08.10.18	पचास (पचासे)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार  
एक पत्रावली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
बारां

क्रमांक/रीडर II/2018/739

दिनांक 8.8.2018

प्रतिलिपि:- जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
बारां